

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 तारानगर

अनुवान रूपाराम बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 627/2025

निर्णय दिनांक 24.12.2025

रूपाराम पुत्र हड़माना राम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी ढाणी छतुसिंह तहसील तारानगर
जिला चूरु

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

-::निर्णय::-

प्रार्थीगण द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर 2025 तारानगर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 18 के खसरा नं. 312 तादादी 3.4015 है0, खसरा नं. 332 तादादी 9.7367 है0, रोही ग्राम ढाणी छतुसिंह तारानगर में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम रूपाराम पुत्र हड़मान दर्ज है जो कि गलत है। जबकि सही नाम रूपाराम पुत्र हड़माना राम है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्ध कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उसके संलग्न दस्तावेजों तथा तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम रूपाराम पुत्र हड़मान के स्थान पर रूपाराम पुत्र हड़माना राम किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः खाता संख्या 18 के खसरा नं. 312 तादादी 3.4015 है0, खसरा नं. 332 तादादी 9.7367 है0, रोही ग्राम ढाणी छतुसिंह तारानगर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीगण का नाम रूपाराम पुत्र हड़मान Delete कर इसके स्थान पर रूपाराम पुत्र हड़माना राम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 तारानगर में

लिखाया जाकर सुनाया गया।



Rajendra
राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)